

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत की व्यापार नीति

240. श्री मारगनी भरत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की व्यापार-नीति की समीक्षा की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका और यूरोपीय संघ ने हाल ही में आयात-शुल्क में वृद्धि करने सहित व्यापार संबंधी अन्य बाधाओं को चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है, जिन पर आयात-शुल्क में वृद्धि की गई है और इस बारे में अमरीका और यूरोपीय संघ की आपत्तियां क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अमरीका और यूरोपीय संघ ने भारत सरकार से उसके कृषि-समर्थित कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रावधानित कृषि-समर्थित कार्यक्रम और डब्ल्यूटीओ-विनियमनों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या डब्ल्यूटीओ में शामिल अन्य देश भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र का विरोध कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : जी, हाँ। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा भारत की व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के तहत की गई है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमित अंतरालों पर सदस्य देशों की व्यापार संबंधी नीतियों की समीक्षा की जाती है। भारत की टीपीआर बैठकें 6 और 8 जनवरी 2021 को आयोजित की गईं।

(ख) एवं (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हाल ही में आयोजित टीपीआर बैठकों के दौरान आयात शुल्क में वृद्धि सहित व्यापार से संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है।

भारत में सीमा शुल्क की प्रयुक्त दरें समग्र आर्थिक और अन्य नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं जिनमें घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, सामान अवसर सृजित करना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना, आवश्यक वस्तुओं की सस्ती कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। आयात शुल्क को कुछ क्षेत्रों में युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसे <https://www.cbic.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

(घ) से (च) : संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कुछ सदस्य देशों ने एमएफएन प्रयुक्त प्रशुल्क दरों, कृषि सहायता कार्यक्रम, जैसे एम् एसपी आदि के संबंध में कुछ सवाल उठाये हैं। विश्व व्यापार संगठन को उनके उत्तर दे दिये गये हैं। कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में कृषि व्यापार के लिए नियमों का प्रावधान है। भारत के एमएसपी तंत्र के माध्यम से सहायता सहित, कृषि सहायता कार्यक्रम इस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं और उन्हें डब्ल्यूटीओ को उनकी अपेक्षाओं के तहत अधिसूचित किया जा रहा है।

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन में मात्स्यिकी का मुद्दा

242. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के छोटे मछुआरों ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चल रही मात्स्यिकी संबंधी-वार्ता का समर्थन न करने को कहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके समुदाय को मिलने वाली राजसहायता पर अंकुश लग सकता है और उनकी आजीविका विनष्ट हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ख) : स्टैकहोल्डरों से मत्स्यपालन सब्सिडी वार्ताओं के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ चिंताएं उठाते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारत यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (यूएनएसडीजी) 14.6 के अधिदेश तथा डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी)- 11 के निर्णय के अनुसार वार्ता में शामिल हो रहा है। भारत का प्रयास अपने स्टैकहोल्डरों, विशेषकर छोटे मछुआरों, के हितों की रक्षा करना है तथा इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों का अनुसरण करना है। जल कृषि तथा अंतर्देशीय मत्स्यपालन को वार्ता के दायरे से अपवर्जित कर दिया गया है।

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए
भारत और चीन के बीच का व्यापार-घाटा

244. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चीन के साथ हुए व्यापार-घाटे को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा चीन के साथ हुए व्यापार का घाटा शून्य करने के लिए कोई लक्ष्य-वर्ष तय किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : भारत तथा चीन के बीच विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात/आयात तथा व्यापार घाटा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	मिलियन अमरीकी डॉलर में व्यापार		व्यापार घाटा
	निर्यात	आयात	
2017-18	13333.53	76380.70	63047.16
2018-19	16752.20	70319.64	53567.43
2019-20	16612.75	65260.75	48647.99
2020-21 (अप्रैल-नवम्बर)*	13639.18	38817.90	25178.72

(स्रोत : डीजीसीआईएस)

*अनंतिम

भारत सरकार ने चीन को भारतीय निर्यातों पर गैर-प्रशुल्क अवरोधों का समाधान करने के लिए द्विपक्षीय संव्यवहारों सहित चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से, भारत से चीन को भारतीय चावल, तम्बाकू, मत्स्य खाद्य/मत्स्य तेल तथा मिर्च खाद्य का निर्यात सुगम करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने चीन के संभावित आयातकों तथा भारतीय निर्यातकों के बीच क्रेता-विक्रेता बैठकें सुगम बनाकर निर्यातकों को सहायता देने के लिए विभिन्न उपाय भी किए

हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों को भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए बड़े व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों/ व्यापार निकायों को सुग्राही बनाने की पहल की है।

सरकार ने विकसित भूमि एवं अवसंरचना का प्रावधान करके ईज ऑफ डुइंग बिजनेस तथा विनिर्माण के लिए समर्थकारी भौतिक वातावरण बनाकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को भी लागू किया है।

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

औषधि विनिर्माताओं द्वारा निर्यात

260. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री डी. एन. वी. सैथिलकुमार एस. :

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकतर लघु और मध्यम औषधि निर्माता बड़े औषधि विनिर्माता ईकाइयों के लिए कार्य कर रहे हैं जो अपने ब्रांड के नाम से भेषज उत्पादों का निर्यात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आत्मनिर्भर भारत पहल के अन्तर्गत लघु और मध्यम औषधि विनिर्माताओं को अपने ब्रांड के नाम से निर्यात को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारत से भेषज वस्तुओं के निर्यात में काफी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) भारत की औषधि क्षेत्र में विद्यमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का भेषज उत्पादों के निर्यात हेतु कोई विनियमन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विनियमनों ने देश से निर्यात की मात्रा पर किस हद तक प्रभाव डाला है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख) : निर्यात हेतु औषधि विनिर्माण के लिए विनिर्माताओं को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधान तथा इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी (एसएलए) से लाईसेंस प्राप्त करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माता को आयातक देश की आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित होता है।

वैश्विक औषधि आपूर्ति शृंखला में भारत के लघु, मध्यम एवं बड़े विनिर्माता हैं, जो इस मूल्य शृंखला के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा, लघु एवं मध्यम औषधि विनिर्माताओं द्वारा निर्यात सहित, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत सहायता, जिला निर्यात हब

स्थापित करना, परिवहन एवं बाजार सहायता स्कीम आदि शामिल हैं। निर्यातकों के लाभ के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार प्रतिनिधि मंडलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडलों/व्यापार मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 30 करोड़ रुपए तथा इससे कम के कारोबार वाले निर्यातकों को हवाई किराया सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) : औषधि उत्पादों का भारत से निर्यात निरंतर रूप से बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत का औषधि निर्यात विगत वर्ष के औषधि निर्यात से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 20.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान कुल औषधि निर्यात 17.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिससे इसमें विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.43% की वृद्धि दर दर्ज हुई।

(घ) : वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार, मेडिकल उपकरणों में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में औषधि में विदेशी निवेश की ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% अनुमति दी गई है तथा ब्राउनफील्ड औषधि परियोजनाओं के लिए 74% से परे 100% तक विदेशी निवेश के लिए सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है।

(ङ.) : विनिर्माताओं को निर्यात के लिए औषधियों का विनिर्माण करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित होता है। औषधि उत्पादों से संबंधित वर्तमान नीति आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018 के अध्याय 30 में उल्लिखित है। वर्तमान में, दिनांक 10 जून 2020 की अधिसूचना संख्या 09/2015-2020 के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में आरटी-पीसीआर किट्स, वीटीएम किट्स, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स तथा 12 अन्य प्रयोगशाला रीएजेन्ट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दिनांक 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

सुदूर पूर्वी देशों से प्रतिस्पर्धा

286. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सुदूर-पूर्वी देशों से व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए सभी उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सुदूर-पूर्वी देशों से चुनौतियों का सामना करने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) से (घ) : वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के उत्थान और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण में बढ़ोतरी के साथ विगत कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। भारतीय उत्पाद, सुदूर पूर्वी देशों सहित, सभी प्रमुख बाजारों में अन्य देशों की वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की हैं। इनमें से कुछ उपायों में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अन्तर्गत विभिन्न निर्यात सुगमीकरण स्कीमें, बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत सहायता, निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), निर्यात केन्द्रों के रूप में जिलों की स्थापना, परिवहन एवं बाजार सहायता स्कीम और निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम शामिल हैं। भारत सरकार निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और डब्ल्यूटीओ विधियों में उपलब्ध विभिन्न व्यापार सुरक्षा साधनों का भी उपयोग करती है।

दिनांक 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

305. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने सीवीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के उल्लंघन में ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान किया है जिससे 4.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) और (ख) : फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त निकाय है। एफडीडीआई, फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान अधिनियम 2017 के अंतर्गत गठित शासी परिषद द्वारा शासित 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' है।

वाणिज्य विभाग को प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा के कार्यालय से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के निर्माण कार्य मैनुअल के दिशानिर्देशों का एफडीडीआई द्वारा अनुपालन न किए जाने के संबंध में एक ऑडिट पैरा प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया है कि एफडीडीआई के प्रबंधन ने लेखा परीक्षा की अभियुक्तियों को स्वीकार किया है और इसकी पुष्टि की है कि संस्थान ने मोबिलाइजेशन अग्रिम देना बंद कर दिया है। लेखा परीक्षा ने प्रबंधन द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की है और उल्लेख किया है कि भविष्य में लेखा परीक्षा के दौरान इसे सत्यापित किया जाएगा।

दिनांक 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

काली मिर्च का आयात

306. श्री हिबी ईडन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काली मिर्च से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को महसूस किया है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भारतीय पत्तनों से काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं,

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक स्तर पर स्वयं भारत सबसे बड़ा काली मिर्च का उत्पादक होने के बावजूद भारतीय बाजार में श्रीलंका से काली मिर्च आयात

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में काली मिर्च के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) और (ख) : भारतीय काली मिर्च अन्तरराष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों जैसे वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारत ने वर्ष 2020 में 61000 मी.ट. का उत्पादन किया है जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 10% है। भारतीय काली मिर्च विश्व बाजार में काली मिर्च की सबसे महँगी किस्मों में से एक है।

मसाला बोर्ड के माध्यम से काली मिर्च सहित मसाला और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों को सहायता देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मसाला बोर्ड, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, सम्पूर्ण मसाला आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देता है। इसमें व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, अवसंरचना विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रैंडों का संवर्धन, प्रमुख मसाला उत्पादन/विपणन केन्द्रों में सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भण्डारण के लिए सामान्य अवसंरचना की स्थापना, क्रेता-विक्रेता बैठकों

का आयोजन करना इत्यादि पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसाला क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

(ग) से (ड.) वर्ष 2017-18 में श्री लंका से काली मिर्च के आयात में वृद्धि हुई थी। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण, वर्ष 2018-19 से श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में कमी आ रही है। काली मिर्च के आयात की मात्रा वर्ष 2017-18 के 13673.95 मी.ट. से घटकर वर्ष 2019-20 में 5178.89 मी.ट. रह गई है।

सरकार ने दिनांक 6.12.2017 की विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के तहत काली मिर्च का सीआईएफ मूल्य 500 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम आयात कीमत के रूप में निर्धारित किया है। तदुपरांत, दिनांक 21.3.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत काली मिर्च का 500/- प्रति किग्रा अथवा उससे अधिक कीमत पर आयात को मुक्त (फ्री) करके और 500/- रुपये प्रति किग्रा से कम के आयात को प्रतिबंधित करके इस न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) की अधिसूचना में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार व्यापार करारों और अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत शामिल देशों के अतिरिक्त अन्य सभी देशों से काली मिर्च के आयात पर 70% का शुल्क अधिरोपित करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुरोध पर, श्री लंका ने भारत के गंतव्य वाले तृतीय देश के काली मिर्च शिपमेंट के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने से रोकने के लिए एक नई कार्यप्रणाली आरम्भ की है।

दिनांक 03, फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

lksus dh ekax esa deh

327- Jh fnO;sUnq vfèkdkjh%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k tqykbZ ls fnlacj 2019 ls yxkrkj rhu Nekgh esa lksus dh ekax vkSj [kir vkB o"kks± ds fupys Lrj rd fxj xbZ gS(

¼[k½ ;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa vkSj xr N% Nekgh dh ekax vkSj [kir dh fjiksVZ dk C;kSjk D;k gS(

¼x½ D;k ljdkj dh ns'k ds lksus dh [kir ds cktkj dks iquthZfor djs dh dksbZ ;kstuk gS(vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) घरेलू बाजार में सोने की मांग और खपत को मापने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। घरेलू खपत और निर्यातों की मांग को पूरा करने के लिए भारत सोने की महत्वपूर्ण प्रमात्रा का आयात करता है। सोने के निर्यात के हाल की प्रवृत्ति, जो घरेलू खपत और निर्यातों के लिए सोने की मांग के स्तर को मोटे तौर पर दर्शाता है, इस प्रकार है:

वर्ष	सोने का आयात (स्वर्ण डोरे बार सहित)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (बिलियन अम. डा.)
2015-16	968.06	31.77
2016-17	780.14	27.52
2017-18	955.32	33.66
2018-19	982.71	32.90
2019-20	719.98	28.23
2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	306.55	16.78

कोविड महामारी के कारण वैश्विक मंदी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न घरेलू तथा निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित किया है। विनिर्माताओं और निर्यातकों को राहत प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिलाभ हुआ है।

मौजूदा आर्थिक विकास का समाधान करने के लिए नीतिगत उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है ।

दिनांक 03, फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

Hkkjrh; mRiknksa dh czkafMax

329- Jh ,lñ lhñ mnklh%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ D;k ljdkj us fu;kZrksUeq[kh Hkkjrh; mRiknksa vkSj lsokvksa ds fy, czkafMax j.kuhfr dh leh{kk dh gS(
 $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj fdu czkafMax vfHk;kuksa dks fpfUgr fd;k x;k vkSj vktek;k x;k gS(
 $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ D;k ljdkj }kjk vxys rhu o"kks± ds varjkZ"V^{ah}; O;kikj esyksa] ,Dliks vkSj lsfeukjksa esa Hkkxhknkj dh fy, dksbZ :ijs[kk rS;kj dh xbZ gS(vkSj
 $\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$;fn gka] rks bu vk;kstuksa esa Hkkx ysus ls dekbZ dk visf{kr y{; D;k gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ), ब्रांडिंग से संबंधित इनपुट और प्रयासों के माध्यम से भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में जागरूकता सृजित करने तथा बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता करता है। आईबीईएफ संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के भाग के रूप में, विभिन्न सेक्टरल ब्रांडिंग प्रयासों की सहायता के लिए विभिन्न विभागों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और उद्योग एसोसिएशनों के साथ सघन रूप से कार्य कर रहा है।

इनमें से कुछ पहलों में हस्तशिल्प, हाथकरघा और कृषि - आधारित जीआई उत्पादों पर विशेष बल देते हुए भारत के भौगोलिक संकेतकों के साथ उत्पादों और जीआई उत्पादों का संवर्धन करने के लिए ब्रैंडिंग अभियान तथा राज्यवार जीआई उत्पादों को दर्शाते हुए ई - ब्रोशर का डिजाइन करना शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हस्तनिर्मित कारपेट को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय कारपेट एक्सपो 20 -21 में महत्वपूर्ण रुचि दर्शाई गयी है।

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत सहायता प्राप्त विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मेलों और एक्सपो में निर्यातकों की भागीदारी के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों/व्यापार संवर्धन संगठनों

द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाती है ।

दिनांक 03, फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

izkd`frd jcy dh [ksrh djus okys fdlku

362- Jh dksfMdqUuhy lqjs'k%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ D;k ljdkj us ns'k esa NksVs ?kjsyw izkd`frd jcy fdlkuksa dh lgk;rk djus dk fu.kZ; fy;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ljdkj }kjk bl ekeys esa D;k dkjZokbZ dh xbZ gS(
 $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ D;k ljdkj us izkd`frd jcy ds vk;kr&'kqYd esa o`f) djus dk izLrko fd;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k g®(
 $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ D;k ljdkj dks bl ckr dh tkudkj gS fd [kqys cktkj esa izkd`frd jcy ds ewY; esa deh ds dkj.k NksVs jcy fdlku ladV dk lkeuk dj jgs g® ftlls mudh vkthfodk ij izHkko iM+ jgk gS(
 $\frac{1}{4}k\frac{1}{2}$;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ljdkj }kjk bl lacaèk esa D;k dkjZokbZ dh xbZ gS(
 $\frac{1}{4}^{31}\frac{1}{2}$ D;k ljdkj dh izkd`frd jcy gsrq leFkZu ewY; r; djus vkSj fdlkuksa ds cSad _k dks LFkfxr j[kus dh ?kks"kk dkjZokbZ gS(vkSj $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : प्राकृतिक रबड़ (एनआर) क्षेत्र और किसानों की सहायता करने के लिए, सरकार, रबड़ बोर्ड के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का वहनीय और समावेशी विकास स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम में रोपण, रोपण सामग्रियों की आपूर्ति, उत्पादक फोरमों के लिए सहायता, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इन गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का सृजन एवं वितरण, रबड़ उत्पादक सोसाइटियों (आरपीएस) जैसे उत्पादक फोरमों को बढ़ावा देना; समूह प्रसंस्करण केन्द्रों (जीपीसी) को बढ़ावा देना; प्रसंस्करण के लिए सहायता; टैपरों के लिए प्रशिक्षण; संपर्क कार्यक्रम एवं सेमिनार, रोपणकर्ताओं के लिए कल्याणकारी उपाय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेबीबीआई) के तहत कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) : एनआर के सभी शुष्क प्रकारों (एचएस 400121, 400122 और 400129) के लिए डब्ल्यूटीओ बाउण्ड सीमा - शुल्क दर 25 प्रतिशत है। लेटेक्स (एचएस 400110) के लिए यह अनबाउण्ड है। प्राकृतिक रबड़ के शुष्क प्रकारों पर वर्तमान लागू सीमा शुल्क 25 प्रतिशत अथवा 30 रूपए प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो और लेटेक्स पर 70 प्रतिशत अथवा 49 रूपए प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो, है। चूंकि एनआर के शुष्क प्रकारों पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत की बाउण्ड दर के बराबर पहले से ही है, इसलिए उसमें और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। लेटेक्स पर आयात शुल्क 70 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर है।

(ग) और (घ) : प्राकृतिक रबड़ की कीमतें बाजार बलों और कारकों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ - साथ, प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियां, तेल/सिन्थेटिक रबड़ की कीमतें, मौसम की परिस्थितियां और भावी बाजारों में विकास शामिल हैं। घरेलू एनआर बाजार सामान्यतः क्षेत्र विशिष्ट और घरेलू कारकों के कारण कुछ विचलनों के साथ विश्व बाजार की प्रवृत्तियों का ही अनुसरण करता है। अभिनव विगत में देश में रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई है और दिसंबर, 2020 में आरएसएस 4 ग्रेड की औसत कीमत 158.42/- प्रति कि.ग्रा.थी।

(ड.) और (च) : प्राकृतिक रबड़ उन मदों में शामिल नहीं है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) अधिसूचित की जाती है। तथापि, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), ने ऋण सेवा में राहत तथा कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार करके, कोविड 19 महामारी के कारण हुए वित्तीय संकट में सहूलियत देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के तहत आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को आवधिक ऋणों (कृषि आवधिक ऋण, खुदरा एवं फसल ऋण सहित) के संबंध में सभी किशतों के भुगतान पर दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक ऋण-स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी थी। इस तरह के ऋणों के पुनर्भुगतान के साथ - साथ अवशिष्ट टेनोर को भी सामान्य रूप से अन्तरित करने की अनुमति दी गई है। नकद क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं के संबंध में, ऋण देने वाली संस्थाओं को ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में लागू ब्याज की वसूली पर दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक आस्थगन देने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा रबड़ क्षेत्र सहित कृषि और संबंध गतिविधियों के सभी ऋणों पर लागू है।

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

leqnzh [kk] fu;kZr

378- ,MoksdsV ,ñ ,eñ vkfjQ%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ foxr ikap foÙkh; o"kkst± esa ns'k ls leqnzh [kk] fu;kZr dk C;kSjk D;k gS vkSj bldk ewY; fdruk gS(

¼[k½ D;k ljdkj us leqnzh [kk] dh ihfyax djus okys Jfedksa ij dksbZ MsVk ,d= fd;k gS tks leqnzh [kk] m|ksx dh jh<+ g® vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼x½ D;k ljdkj us leqnzh [kk] dh ihfyax djus okys Jfedksa ds dY;k.k ds fy, dksbZ dne mBk;k gS] fo'ks"kdj mu efgyk Jfedksa ds fy, tks m|ksx esa cM+h la[k esa dk;Zjr gSa (vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): विगत पांच वित्तीय वर्षों में देश से समुद्री खाद्य निर्यात का विवरण निम्ननुसार है;

(मूल्य: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मर्दे	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रशीतित झींगा	3096.68	3726.38	4848.19	4610.59	4889.12
प्रशीतित मछली	529.85	672.47	733.17	699.09	513.60
प्रशीतित कटल फिश	250.31	292.73	369.88	282.29	286.40
प्रशीतित स्क्वीड	247.53	388.64	385.01	359.71	314.23
शुष्क मर्दे	111.57	199.77	163.53	189.58	140.81
जीवित मर्दे	47.77	61.05	45.41	55.89	46.43
शीतित मर्दे	124.51	116.02	101.78	89.20	90.34
अन्य	279.71	320.54	434.58	442.16	397.77
कुल	4687.94	5777.61	7081.55	6728.50	6678.69

(ख), (ग) और (घ): भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से, शुरू की गई एक नई फ्लैगशिप स्कीम प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रही है। पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात आय में वृद्धि करना तथा रोजगार अवसर सृजित करना है। पीएमएमएसवाई में

मछुआरों के कल्याण के उपाय भी शामिल हैं, जिसका लाभ समुद्री खाद्य पीलिंग श्रमिकों सहित मछली श्रमिकों द्वारा उठाया जा सकता है।

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

fu;kZr mUeq[kh m|ksx

423- Jh ,ñ ukjk;.k Lokeh%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fu;kZr mUeq[kh m|ksxksa ls mRiknu c<+ jgk gS(vkSj

¼[k½ ;fn gka] rks dukZVd lfgr ns'k esa ,sls m|ksxksa ls mRiknu dk
C;kSjk D;k gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पूरी)

(क) एवं (ख): निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) से निर्यात विगत 3 वर्षों से बढ़ रहा है। कर्नाटक सहित, विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात उन्मुखी इकाइयों से निर्यात का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
2017-18	86083.06
2018-19	87371.74
2019-20	102492.92

दिनांक 03 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

{ks=h; O;kid vkfFkZd Hkkxhnhkj
457- Jh f'kf'kj dqekj vfèkdkjh%
MkWñ vej flag%
Jh foulSaV ,pñ ikyk%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us {ks=h; O;kid vkfFkZd Hkkxhnhkj ¼vklhZ ih½ ds
vLohdj.k ds Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkSj thMhij ij laHkkfor
izHkkoksa dk vkdyu fd;k gS(
¼[k½ ;fn gkij] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds
D;k dkj.k gSa(
¼x½ D;k vklhZih dks Hkkjrh dh vLohd`fr {ks=h; izfr larqyu u jgus
ds dkj.k puh vFkZO;oLFkk dks etcwr djsxh(vkSj
¼?k½ ;fn gkij] rks bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): सरकार ने घरेलू उद्योग, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों आदि जैसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए तथा इनपुट प्राप्त किए, जिन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ता में भारत की स्थिति प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा गया। तदनुसार, 4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरे आरसीईपी लीडर्स समिट के दौरान, भारत ने यह स्पष्ट किया कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं करती है, जिसके प्रकाश में भारत आम सहमति में शामिल नहीं हुआ। आरसीईपी में भारत की स्थिति न्यायसंगत परिणामों, संतुलित आंकाक्षाओं को प्राप्त करने तथा छोटे उद्यमियों सहित अपने हितधारकों की घरेलू संवदेनशीलता का समाधान करने के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा, भारत ने अपनी घोषित स्थिति को भी अभिव्यक्त किया कि एकट ईस्ट पॉलिसी भारत की आर्थिक नीति का आधार है और आसियान देशों और अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत का जुड़ाव जारी रहेगा।
